श्री ओचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 352 में दर्ज है कि कोई सदस्य किसी ऐसे मामले का उल्लेख नहीं करेगा जिसके बारे में न्यायिक निर्णय निलम्बित हो। इस मामले पर दो लेख याचिकायें पहले ही दायर हो चुकी हैं। उन याचिकाओं के अन्तर्गत प्रधान मंत्री का न्यायाधिकरण का पंचाट लागू करने से रोकने की माँग की गई है। अब प्रधान मंत्री इस मामले पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रही हैं....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि न्यायालय के समक्ष किसी मामले का उल्लेख किया गया तो मैं आपको यह मामला उठाने की अनुमति दूंगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नियमों के अनुसार ग्राह्य नहीं है।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद सदस्य यह नहीं कह सकते कि मैं चर्चा का उत्तर न दूं। उन्हें प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिये।

विरोधी दलों के तथा हमारे विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है परन्तु हम देशभक्ति में किसी से पीछे नहीं हैं। कुछ सदस्यों का सुझाव है कि हम न्यायाधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करने के अपने उत्तरदायित्व से मुकर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि केवल अन्तर्राष्ट्रीय जनमत से बाध्य होकर ही हम इस पंचनिर्णय को स्वीकार कर रहे हैं। यह ठीक है कि हम बहुत से मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा नहीं करते परन्तु जहाँ राष्ट्र के हित का प्रश्न उठता है, वहाँ हम सोचते हैं कि राष्ट्र के हित को सबसे अधिक मान्यता दी जाये। भारत को ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जो ठीक तथा उचित न हो। सरकार को अपना वचन पूरा करना चाहिये जो यह है कि न्यायाधिकरण का निर्णय दोनों सरकारों को अनिवार्य रूप से मानना होगा तथा किसी भी आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

न्यायाधिकरण को सीमांकन करना था और भारत द्वारा जिस सीमा का दावा किया गया था, उसे काफी हद तक स्वीकार किया गया है। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं पंचाट से संतुष्ट हूँ। तथापि हमें 10 प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है। यद्यपि हम शत प्रतिशत सफलता चाहते थे, तो भी इससे निराश होकर हमें अपना कर्त्तव्य नहीं भूल जाना चाहिये। हम इस आशा से अपने अन्तर्राष्ट्रीय वचनों का पालन करना चाहते हैं कि इस विवाद के समाप्त हो जाने से दुर्भाग्यपूर्ण विवाद समाप्त हो जायेंगे तथा इससे दोनों देशों के बीच सामान्य सम्बन्ध बढ़ेगा।

कुछ सदस्यों का यह कहना कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई विवाद ही नहीं था, विचित्र बात है। न केवल विवाद था, अपितु इस सम्बन्ध में पारस्परिक बातचीत भी हुई थी तथा संघर्ष भी। इससे कोई वांछनीय फल नहीं निकले। अतः संसद के अनुमोदन से यह मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा गया था।

माननीय सदस्य, श्री आशाभाई पटेल ने कच्छ में भूमि को नर्मदा परियोजना का प्रयोग किए जाने की सम्भावनाओं के बारे में कहा है। स्थिति यह है कि नर्मदा नदी के जल संसाधनों के अधिकतम तथा समेकित विकास के लिये नर्मदा जल संसाधन समिति ने एक वृहद योजना की सिफारिश की थी। इसमें कच्छ के छोटे रन में 3 लाख एकड़ तथा बड़े रन में साढ़े चार लाख

एकड़ की सिंचाई करने का विचार है। अब पंचाट ने सीमा निर्धारित कर दी है। अतः हमें कार्य शुरू कर देना चाहिये तथा इस क्षेत्र का विकास करना चाहिये ताकि देश की समृद्धि में वह भी अपना योगदान दे सके।

कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध कभी स्थापित नहीं कर सकते। यह प्रवृत्ति निराशाजनक है। सरकार स्थायी शत्रुता के आधार पर नहीं चल सकती। पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने की आशा कितनी ही धूमिल क्यों न हो तथा उसका मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो हमें पाकिस्तान को यह अनुभव कराने के लिये सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिये कि पाकिस्तान का हित भी यही है कि वह भारत के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सहयोग के सम्बन्ध स्थापित करे।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विरोधी दल के कुछ सदस्य यह समझते हैं कि हमें भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के मामले में उचित तथा जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिये। कुछ सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। इस पंचाट के बाद जब सीमा का रेखांकन हो जायेगा, तो किसी को इस बारे में शंका नहीं रह जानी चाहिये कि देश की अन्य सीमाओं की भांति इस सीमा की सुरक्षा भी हमारे राष्ट्र तथा हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाओं द्वारा की जायेगी।

माननीय सदस्य श्री कृष्णामूर्ति ने कोयमबटूर तथा मदुरै में राष्ट्रीय पताका के जलाये जाने, राष्ट्रीय गान का अपमान करने की जो निन्दा की है, उसे सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी घटनाओं तथा आसाम में हुई घटनाओं पर हम सभी को दुख होना स्वाभाविक है। हमें पूर्ण आशा है कि पथभ्रष्ट युवक भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रतिष्ठा बनाये रखने में सहयोग देंगे। ऐसे सभी आन्दोलनों तथा ऐसी प्रवृत्तियों को जिनसे तनाव अथवा विघटन की कार्यवाहियों या पृथकतावाद को प्रोत्साहन मिले, मजबूती से दबा दिया जाना चाहिये। हम तभी ऐसा सुदृढ़ आधार स्थापित कर सकते हैं, जिसके बल पर हम अपनी एकता तथा अखण्डता की रक्षा कर सकते हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ सदस्यों ने इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करना उचित समझा है, इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने जो तर्क दिए हैं, वे प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय वचनों से बाध्य हैं। उप-प्रधान ने कहा है कि प्राण जायें पर वचन न जाई। आपको अपने वचन तभी याद आते हैं जब उससे आपका उद्देश्य पूरा होता है। देश के अन्य भागों के बारे में आप अपने वचन भूल गए हैं।

मैं अब भी चाहता हूँ कि सरकार अपने वचनों को पूरा करे। सरकार ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे अपने राज्यक्षेत्र की एक इंच भूमि भी नहीं देंगे। हमने पहले ही भारत का 50,000 वर्ग मील का क्षेत्र खो दिया है। गत 20 वर्षों में हमारे देश पर चार आक्रमण हुए हैं। सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उन्होंने देश में प्रभुसत्ता की रक्षा की है।

जब मैं यह कहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा शत्रु बना रहेगा तो मेरे कहने का अर्थ यह है